

21 MAR 2021



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

15AA 513302



किरायेदार का नाम/द्वितीय पक्षकार

किरायाधीन संपत्ति

मासिक किराया  
एडवास/रनिंग

किरायानामा अनुबंध पत्र

श्री निर्मल जैन आत्मज श्री राममल जैन आयु वयस्क निवासी  
—मकान न. ए — 8 सुभाष नगर फाटक के पास, पदमनाभ नगर,  
गोविन्दपुरा, भोपाल म.प्र.।

श्री नितिन सिंह कछवाहा आत्मज श्री सूर्यभान सिंह कछवाहा आयु  
वयस्क निवासी मकान न. 158, रिगल मोहिनी, अवधपुरी, भोपाल  
म.प्र.।

एक किता मकान न. 5/11, द्वितीय तल, आमीर काम्पलेक्स, पंजाब  
नेशनल बैंक के सामने, एम.पी. नगर, जोन 2 भोपाल म.प्र. मे स्थित  
है जिसको किराये पर दिया गया है।

रुपये 15,000/- (रुपय पन्द्रह हजार मात्र) प्रतिमाह  
रुपये 30,000/- (रुपय तीस हजार मात्र) जो कि चैक क. 809203  
पंजाब नेशनल बैंक भोपाल के माध्यम से दिनांक 05/05/2021 को  
अदा किये गये हैं जो कि उक्त सम्पत्ति खाली करते समय  
सम्पत्ति मालिक द्वारा किरायेदार को बिना व्याज के वापिस या  
सामायोजित किये जायेंगे।

अन्य विवरण

यह कि उक्त संपत्ति व्यवसाय उपयोग हेतु दिया जा रहा है, तथा संपत्ति में किसी प्रकार का असमाजिक  
कार्य नहीं किया जायेंगा। एवं कोई अनियमित्ता पायी जाती है एवं अनुबंध कि शर्तों का उल्लंघन करने पर  
उसकी समस्त जिम्मेदारी किरायेदार कि होगी।

१०५/२३३८

किरायानामा अनुबंध पत्र


नाम संपत्ति मालिक - प्रथम पक्षकार

श्री निर्मल जैन आत्मज श्री राममल जैन आयु वयस्क  
निवासी - मकान न. ए - ८ सुभाष नगर फाटक के पास,  
पदमनाभ नगर, गोविन्दपुरा, भोपाल म.प्र.।

किरायेदार का नाम / द्वितीय पक्षकार

श्री नितिन सिंह कछवाहा आत्मज श्री सूर्यभान सिंह  
कछवाहा आयु वयस्क निवासी मकान न. 158, रिगल  
मोहिनी, अवधपुरी, भोपाल म.प्र.

३१८८ - ४९२७३७६३८६६२



- 1 यह कि उक्त किरायादारी 05/05/2021 से प्रारंभ होगी जिसका अनुबंध आज दिनांक 31/03/2021 को किया जा रहा है जो अगमी 11 माह तक वैध रहेगी तथा 11 माह पश्चात् किराये में 5% प्रतिशत किराया बढ़ि कर किराया अनुबंध आगे बढ़ाया जा सकता है।
- 2 यह कि उक्त किरायेदार द्वारा किराया प्रत्येक माह कि 01 तारीख से 05 तारीख तक संपति मालिक को अग्रिम अदा किया जायेगा।
- 3 यह कि किरायेदारी का महीना प्रत्येक माह कि 01 तारीख से प्रारंभ मानी जायेगी।
- 4 यह कि किरायेदार उक्त किरायाधीन संपत्ति को किसी अन्य को उप किरायेदारी नहीं रखेगा व शिकमी आदि के तौर पर नहीं दे सकता है।
- 5 यह कि उक्त संपत्ति का बिजली बिल किरायेदार द्वारा किराया राशि के अतिरिक्त अदा किया जावेगा।
- 6 यह कि उक्त किरायाधीन संपत्ति में कोई गैर कानूनी कार्य नहीं किया जावेगा अगर कोई अवैधानिक कार्य किया जाता है तो उस कि समस्त जिम्मेदारी किरायेदार कि होगी तथा संपत्ति मालिक को यह अधिकार होगा कि संपत्ति को तत्काल खाली करवा लियाजायेगा।
- 7 यह कि उक्त किरायाधीन संपति खाली करते समय उसी अवस्था में किरायेदार द्वारा संपति मालिक को सौंपी जावेगी जिस अवस्था में किराये पर लिया गया है।
- 8 यह कि द्वितीय पक्षकार द्वारा उक्त किरायाधीन संपत्ति में रहते हुए किसी बैंक या वित्तीय संरक्षण किसी भी प्रकार का मोड़गेज नहीं करेगा और ना ही कोई ऋण प्राप्त करता है तो उसकि जिम्मेदारी किरायेदार कि होगी।
- 9 यह कि किरायाधीन संपत्ति जिस हालत में लीजा रही है उसी हालत में संपत्ति मालिक को किरायेदार द्वारा उक्त संपत्ति उसी हालत में वापिस की जायेगी। अगर कोई तोड़ फोड़ होती है तो एडवांस राशि में काट लिया जायेगा।
- 10 यह कि किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्रधिकार भोपाल न्यायालय को होगा।
- 11 यह कि उक्त किरायाधीन संपत्ति की जब भी खाली करवाने की आवश्यकता होगी तो किरायेदार को 01 माह पूर्व सुचित किया जायेगा और इसी तरह किरायेदार द्वारा भी संपत्ति खाली करने के 01 माह पूर्व संपत्ति मालिक को सूचित किया जायेगा।
- 12 यह कि दोनों पक्षकारों पर मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 2012 के प्रावधान लागू होंगे तथा उसमें दी गयी हिदायतों का दोनों पक्षकार विधिवत् रूप से पालन करेंगे।

अतः आज दिनांक 31/03/2021 को भोपाल में यह किरायानामा दो गवाहों के समक्ष पढ़, सुन, समझकर हस्ताक्षर कर निष्पादित कर दिया गया ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

गवाह :- Sunil Kumar Jain

हस्ताक्षर / Jain

नाम


पता A-90 Paharimgarh Bawaliya

हस्ताक्षर IDENTIFIED BY ME Kala Chopal,

नाम Signature..... ९५०२५१०५३०

पता Name.....

Ad.....

  
हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार / संपत्ति मालिक

  
हस्ताक्षर द्वितीय पक्षकार / किरायेदार